कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

क्रमांक 2030917 / एम.सी. / 4 / राज / 2018 भोपाल, दिनॉक 23 / 06 / 2018

/ / आदेश / /

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल द्वारा विज्ञापित विज्ञापन दिनांक 17 / 04 / 2018 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 21 / 05 / 2018 से 24 / 05 / 2018 तक संस्था में विभिन्न विषय में रिक्त सहायक प्राध्यापको के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार रखा गया था विषयवार श्रेणीवार निम्नानुसार उम्मिदवारो का चयन कर सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान 15600–39100+7000 ग्रेड–पे में नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

क्रमांक	नाम	विषय	श्रेणी	पता
01	Dr. Pragyey Nawlakhe	Surgery	OBC	H.No.-35 Itwara Road, Malviya ward, Burhanpur-450331

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे कर्यभार करने नहीं दिया जायेगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर दिनांक 07/07/18 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वय निरस्त माने जावेंगे।
3. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज देकर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू– राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।
4. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
5. आपकी नियुक्ति एक वर्ष की कालावधि की परीविक्षा पर होगी।
6. चयनित अभ्यर्थी की आपसी वरिष्ठता संस्था द्वारा नियुक्ति हेतु तैयार चयन सूची के क्रमानुसार ही रहेगी।
7. इस नियुकित में अ.जा. / अ.ज.जा. / अपिव / महिला के पदो के आरक्षण संबंधी प्रावधानो को ध्यान में रखा गया है। अनु.जाति / अ.ज.जाति. प्रमाण पत्र का प्रमाणिकरण उपरान्त वैद्यता न होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वमेय निरस्त मानी जावेगी। अ.पि.वर्ग में चयनित अभ्यार्थियो को नवीन नान क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, नान कीमीलेयर प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वमेय निरस्त मानी जावेगी।
8. आपकी नियुक्ति ''मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018'' के तहत, इस स्वशासी संस्था के सेवाशर्तो के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
9. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाये अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं होगी।
10. संलग्न चरित्र प्रपत्र को पूर्ण रूप से अभिप्रमाणित करवाकर उपस्थिति दिनांक को संस्था में जमा कराना होगा।
11. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाणपत्र उपाधियों एवं अन्य प्रमाणपत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं मूल अभिलेखो से सत्यापित कर छायाप्रति जमा करानी होगी।

12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अबंधित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं हैं।
13. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन मं उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
14. चयनित उम्मीदवार को निजि प्रेक्टिस के संबंध में पदभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर विकल्प प्रस्तुत करना होगा। विकल्प फार्म संलग्न है।
15. पदभार ग्रहण करने के पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उपस्थिति मान्य नहीं होगी।

//

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी एवं अध्यक्ष, कार्यकारीणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
2. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारीणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
6. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
8. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. Dr. Pragyey Nawlakhe , Address- H.No.-35 Itwara Road, Malviya ward, Burhanpur-450331 वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करें।

23.05.18

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल।

order/2018